

सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.09.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे 25 जिलों के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं निदेशक भू-अर्जन निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ नये औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहित किये जा रहे भूमि के संबंध में VC के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थित:-

- 1) निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय,
- 2) संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
- 3) निदेशक (प्रशासन), आयडा, पटना
- 4) वरीय भूमि विकास पदाधिकारी, आयडा, पटना
- 5) निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना (VC के माध्यम)
- 6) संबंधित जिला के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (VC के माध्यम)

सर्वप्रथम सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं VC के माध्यम से जुड़े निदेशक, भू-अर्जन, निदेशालय एवं सभी भू-अर्जन पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी।

सर्वप्रथम दरभंगा के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके जिलांतर्गत कुल अर्जन भूमि 385.45 एकड़ के विरुद्ध सभी कार्य पूर्ण कर ली गयी है और अब तक रु० 5.00 (पांच करोड़) करोड़ की राशि का वितरण लाभकों के बीच में किया जा चुका है एवं शेष प्राप्त राशि का भुगतान 25.09.2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने पुनः यह बताया कि पूर्व में प्राक्कलित राशि जो कि रु० 376.04 करोड़ रुपये थी, पुनरीक्षणोपरांत रु० 270 करोड़ रुपये हो गयी है।

इसके आलोक में सचिव उद्योग के द्वारा सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी जिला भू-अर्जन के कार्यों के विरुद्ध प्राक्कलित राशि की पुनर्समीक्षा कर लें एवं 48 घंटों में समाहर्ता के माध्यम से विभाग को अनिवार्य रूप से अवगत करायें। इसी क्रम में संयुक्त सचिव, प्रशाखा-05, उद्योग विभाग को निदेशित किया गया कि भू-अर्जन हेतु प्राप्त द्वितीय किस्त की राशि अविलंब दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव पर शीघ्र अनुमोदन प्राप्त कर लें।

समीक्षा के क्रम में वैशाली जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके जिलांतर्गत प्राप्त राशि के विरुद्ध अब तक 98 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है एवं इस माह के अंत तक 50 प्रतिशत तक की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

सचिव उद्योग विभाग के द्वारा पृच्छा की गयी कि जिला अंतर्गत भू-अर्जन के कार्य में क्षेत्र विशेष में किसी प्रकार की रुकावट या समस्या तो नहीं है। इस पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली ने कहा कि अभी तक किसी प्रकार की समस्या या रुकावट परिलक्षित नहीं हुई है।

औरंगाबाद के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि भू-अर्जन प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयुक्त, गयाजी को भेजा गया था, उसमें त्रुटि होने के कारण कार्यालय के पास वापस किया गया है। सचिव उद्योग के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि भू-अर्जन के कार्य में तेजी लाने हेतु एक सप्ताह के अंदर त्रुटि निराकरण करते हुए आयुक्त गयाजी को शीघ्र अनुमोदनार्थ भेजेंगे।

मुंगेर अंतर्गत हो रहे भू-अर्जन कार्य के शिथिलता पर सचिव, उद्योग के द्वारा क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा गया कि 17.03.2026 को SIA पूर्ण होने के उपरांत भी भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत धारा 11(i) एवं 19(i) के तहत कार्यवाही नहीं की गयी है। यह अत्यंत खेद का विषय है। इस संबंध में सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सचिव, उद्योग के द्वारा निदेश दिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे भू-अर्जन कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उच्च स्तरीय निदेश प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अपने समाहर्ता को कार्य के विकास में तेजी लाने हेतु अवगत करायेंगे और कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करायेंगे। सचिव उद्योग के द्वारा निदेशक भू-अर्जन से अनुरोध किया गया कि प्रतिदिन उद्योग विभाग के अंतर्गत हो रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य में समुचित प्रगति परिलक्षित हो। सचिव उद्योग के द्वारा सभी जिलों से क्रमशः धारा 11(i) एवं 19(i) के तहत कार्य 25.09.2026 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

अन्य जिला यथा बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा, मुजफ्फरपुर, अरवल, रोहतास, पटना, भागलपुर, भोजपुर, सहरसा, नालंदा, शेखपुरा, सुपौल, कटिहार, सिवान के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि भू-अर्जन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे।

समीक्षा के क्रम में निदेशक (प्रशासन), आयडा के द्वारा बताया गया है कि पूर्णिया के बी. कोठी के लिए अभी तक उनके द्वारा त्रुटि सुधार कर अधियाचना नहीं भेजी गयी है। सचिव, उद्योग ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेश दिया कि स्थल के नगर क्षेत्र से उसकी दूरी की समीक्षा कर लेंगे और औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु आयडा भी उपयुक्तता के आधार पर इसकी समीक्षा कर लेंगे।

सचिव, उद्योग के द्वारा प्रशाखा 05 को निदेश दिया गया है कि भू-अर्जन मद में शेष आवंटन को प्राप्त करने हेतु शिथिलीकरण के लिए एक पत्र वित्त विभाग को अविलंब भेजें।

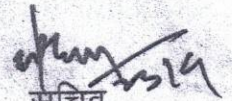
सचिव, उद्योग के द्वारा आयडा के निदेशक, (प्रशासन) को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से प्रतिदिन सभी जिला से प्रगति प्राप्त करेंगे एवं भू-अर्जन कार्य में उनको सहयोग प्रदान करेंगे और इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

अंत में सचिव, उद्योग के द्वारा सभी पदाधिकारियों को बिहार के औद्योगिक विकास हेतु किये जा रहे भू-अर्जन कार्य में शीघ्रता लाने का निदेश दिया गया एवं सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

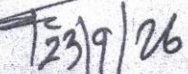
ज्ञापांक :- 5235 दिनांक :- 24-09-26

सं०सं०- 5/सं० भू-अर्जन(बैठक)-12/2026

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, आयडा, पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।



(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।